आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

शस्त्र अपील वाद संख्या–56/2023

कलीम अहमद नदीम, पिता–मो० शमीम अहमद।

बनाम्

बिहार सरकार (द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सीवान)।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार सिंह एवं श्री संजय कुमार।

सरकार के तरफ से :– विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.11.2024 **20.11.2024**	**प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद, जिला दण्डाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक सं०–1961 / शस्त्र, दिनांक–31.12.2022 जिसके द्वारा अपीलकर्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–03 / 2011 को रद्द कर दिया गया है,** के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा दायर वाद के आलोक में निम्न न्यायालीय अभिलेख प्राप्त किया गया तथा अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना। **अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार** पंचायत चुनाव, 2021 के अवसर पर शस्त्र अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचना का प्रकाशन करते हुए जिले के शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने के लिए दिनांक–26.07.2021 से दिनांक–08.08.2021 तक, दिनांक–24.08.2021 से दिनांक–31.08.2021 तक तथा दिनांक–20.09.2021 से दिनांक–27.09.2021 तक कार्यक्रम का निर्धारण किया गया था, लेकिन अपीलकर्त्ता द्वारा अपने शस्त्र और शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा सका। इस क्रम में शस्त्र और अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने के बिन्दु पर अपीलकर्त्ता से पत्रांक–850 / शस्त्र, दिनांक–25. 06.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि अपनी माता के ईलाज में व्यस्त रहने के कारण उनके द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा सका। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि शस्त्र के भौतिक सत्यापन हेतु उन्हें कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दिया गया है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ उनके पक्ष को सुने बिना आदेश पारित किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	कि जिला दण्डाधिकारी, सीवान के प्रश्नगत आदेश के अनुपालन में उनके द्वारा अपना शस्त्र दिनांक–13.01.2023 को PALI GUN HOUSE, सीवान में जमा करा दिया गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि जिला दण्डाधिकारी, सीवान के प्रश्नगत आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि Public Safety के लिए अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जाना क्यों आवश्यक है। इस क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता तत्समय अपने बीमार माता की चिकित्सा एवं देख–भाल में व्यस्त थें, जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भी किया गया है, परन्तु जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा उक्त पर विचार किये बिना ही उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्‌द कर दिया गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला दण्डाधिकारी, सीवान के त्रुटियुक्त आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए। **विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण के अनुसार** पंचायत चुनाव, 2021 के मद्‌देनजर जिला सीवान में सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालय ज्ञापांक–391/शस्त्र, दिनांक–22.07.2021 (प्रथम चरण) द्वारा दिनांक–26.07.2021 से दिनांक–08.08.2021 तथा कार्यालय पत्रांक–450/शस्त्र, दिनांक–21.08.2021 (द्वितीय चरण) द्वारा दिनांक–24.08.2021 से दिनांक–31.08.2021 तक थानावार कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष शस्त्र उपस्थापित करने का निदेश थाना एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया था। इसके अलावा जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपरोक्त दोनो चरण में शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर भौतिक सत्यापन हेतु अंतिम मौका देते हुए दिनांक–20.09.2021 से दिनांक–27.09.2021 तक थानावार कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष शस्त्र उपस्थापित करने का निदेश थाना एवं दैनिक समाचार पत्रों (PR No-006081 (District) 2021-22) के माध्यम से दिया गया था, परंतु अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में अपने अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, जो ARMS RULES, 2016 के कंडिका–30 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। साथ ही यह भी दावा किया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (b) में निलंबित, अनुज्ञप्ति रद्द या शर्तो को बदलने से पूर्व व्यक्तिगत नोटिस का प्रावधान नहीं है। उक्त के आधार पर विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा कहा गया कि जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं विधिसम्मत् है,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिसे यथावत् रखा जा सकता है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख में पोषित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव, 2021 के मद्देनजर शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा निर्धारित किए गए अवधि में अपीलकर्ता द्वारा अपने शस्त्र/अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, जिसके कारण ARMS ACT, 1959 की धारा 17 (3) (b) के आलोक में अपीलकर्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। पंचायत चुनाव–2021 के शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तथा "For the security of the public peace or for public safety" के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के आदेश/समाचार पत्रों में प्रकाशित निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। पंचायत चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही शस्त्र सत्यापन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जिसमें आम सूचना के माध्यम से कई बार सूचित किये जाने के बावजूद भी शस्त्र सत्यापन नहीं कराना अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन है। राज्य में पंचायत चुनाव सबसे नीचे के स्तर पर जन प्रतिनिधि चुनने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रतिद्वंदी उम्मीदवार/उनके समर्थकगण हिंसा पर उतर जाते है, जिसमें हथियार की धौंस दिखाकर 'Vulnerable groups' को डराने धमकाने एवं चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की पूरी आशंका बनी रहती है। निर्वाचन आयोग का निदेश भी शांतिपूर्ण और हिंसा रहित चुनाव कराने का होता है। पंचायत निर्वाचन का Schedule भी नियत अवधि का होता है, जिसमें आम सूचना के माध्यम से हीं सूचना देना संभव हो पाता है, समयाभाव के कारण व्यक्तिगत नोटिस भेजना संभव नहीं हो पाता है। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराये गये आम सूचना में यह स्पष्ट अंकित था कि ***"यह भी सूचित किया जाता है कि जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन तृतीय चरण में नहीं कराया जाता है उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द (Cancelled) कर दिया जाएगा।"*** इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्यापन नहीं कराने के लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी पर की जानेवाली कार्रवाई की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को थी। ऐसी स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दिया जाना कि आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का मौका नही दिया गया है, यह तर्क स्वीकारणीय नहीं रह जाता है।

विगत कई वर्षों से कई लोक सभा, विधान सभा एवं पैक्स चुनाव में यही प्रक्रिया प्रचलन में रही है एवं लगभग 70–90 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारियों ने इसका

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुपालन किया एवं अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। पंचायत आम चुनाव की जानकारी घर–घर में हो जाती है, क्योंकि यह बहुत ही "Closely and Hotly Contested" चुनाव होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं प्रतिवेदित होती है। लेकिन पंचायत चुनाव–2021 में जिला दण्डाधिकारी द्वारा तीन तिथियों को मौका दिये जाने के बावजूद भी अपीलकर्त्ता द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, न हीं निर्धारित तीन तिथियों में से किसी एक तिथि में भी शस्त्र सत्यापन नही करा पाने की कोई पूर्व सूचना/अनुरोध अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को दिया गया था कि वे किसी विशिष्ट कारण से धारित शस्त्र का सत्यापन नहीं करा सकते है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने याचिका में अपनी माता के चिकित्सीय कार्य में व्यस्ता के कारण शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–01.04.2021 को C.T Scan Report की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जो स्पष्टतः शस्त्र के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से काफी पूर्व का है। ऐसे में अपीलकर्त्ता द्वारा यह कहा जाना कि शस्त्र के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के समय वे अपनी माता के चिकित्सीय कार्य में व्यस्त थे, को Conclusive Evidence नहीं माना जा सकता है। साथ ही अपीलकर्त्ता यदि शस्त्र के भौतिक सत्यापन में किसी कारण से असमर्थ थे, तो इससे संबंधित कोई सूचना संबंधित कार्यालय को दिये जाने का साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। पंचायत चुनाव, 2021 में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलकर्त्ता द्वारा शस्त्र सत्यापन नहीं कराया जाना अनुज्ञप्ति के शर्तों के प्रतिकूल है, इसलिए जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की बाध्यता नहीं है। इस प्रकार के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र सत्यापन नहीं कराने पर निर्वाचन में शस्त्र के दुरूपयोग की पूरी आशंका बनी रहती है। अगर इस प्रकार शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर कार्रवाई नही होगी तो अन्य अनुज्ञप्तिधारी, जिन्होंने जिम्मेवारी पूर्वक सत्यापन कराया है, भी हतोत्साहित होंगे। शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करना एक जिम्मेदारी युक्त कार्य है, जिसमें अनुज्ञप्ति शर्तो का निर्वहन करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिला दण्डाधिकारी, सीवान के ज्ञापांक सं०–1961/शस्त्र, दिनांक–31.12.2022 द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे **यथावत्** रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24

WEB COPY NOT OFFICIAL

	घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL